

५१५-१

पत्रांक-1प्रा0आ0-13/2016.....3190/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 25/8/16

विषय: राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 3174/आ0प्र0 दिनांक 24.08.2016 एवं
3177/आ0प्र0, दिनांक-24.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय जिसके द्वारा राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश दिया गया था। इसी क्रम में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ से विस्थापित परिवारों को नहाने एवं कपड़ा धोने हेतु साबुन तथा बालों में लगाने वाला तेल तथा कंघी एवं छोटा ऐनक भी दिया जाय। साथ ही महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकिन की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इन सामग्रियों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं आवश्यक राशि की अधियाचना सीधे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय से करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अनिरुद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक3190...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 25/8/16

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक3190...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 25/8/16.


प्रतिलिपि- सभी प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3190 / आ0प्र0,

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


पटना-15, दिनांक- 25/8/16


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3190 / आ0प्र0,

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आपस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


पटना-15, दिनांक- 25/8/16


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3190 / आ0प्र0,

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना-15, दिनांक- 25/8/16


संयुक्त सचिव